

पेरसि समझौते के नौ वर्ष

प्रलिमिस के लिये:

पेरसि समझौता, [UNFCCC](#), राष्ट्रीय स्तर पर निधारति योगदान (NDC), क्योटो प्रोटोकॉल बनाम पेरसि समझौता, जलवायु वित्त, साझा लेकनि वभिदति ज़मिमेदारियाँ (CBDR), वैश्व मौसम वजिज्ञान संगठन (WMO) रपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS)

मेन्स के लिये:

पेरसि समझौते की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ, वैश्वकि जलवायु वित्त संबंधी मुददे और उनका नविरण

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर, 2015 को अंगीकृत [पेरसि समझौते](#) के नौ वर्ष पूरण होने के साथ इसकी संवीक्षा की जा रही है।

- वैश्वकि तापमान वृद्धि को सीमित करने के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, हालिया रुझान [जलवायु परविरत्तन](#) का शमन करने में इसकी प्रभावहीनता को उजागर करते हैं। पछिले नौ वर्षों में, वैश्वकि उत्सर्जन में 8% की वृद्धि हुई है और अनुमानतः वर्ष 2024 में पहली बार यह पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से अधिक हो जाएगा।

पेरसि समझौता क्या है?

परचियः

- यह [जलवायु परविरत्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवरक कनवेंशन \(UNFCCC\)](#) के तहत वधिकि रूप से बाध्यकारी वैश्वकि समझौता है जिसका अंगीकार वर्ष 2015 (COP 21) में किया गया था।
- इसका उद्देश्य तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की महत्त्वाकांक्षा के साथ जलवायु परविरत्तन का शमन करना और वैश्वकि तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना है।
- इसने [क्योटो प्रोटोकॉल](#) का स्थान लिया जो जलवायु परविरत्तन के शमन हेतु एक पूर्व समझौता था।
- पेरसि समझौते के अंतर्गत, प्रत्येक देश को हर पाँच वर्ष में अपने [राष्ट्रीय स्तर पर निधारति योगदान \(NDC\)](#) प्रस्तुत करना और उसे अद्यतन करना होता है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परविरत्तन के अनुकूल होने की उनकी योजनाओं की रूपरेखा होती है।
 - NDC, देशों द्वारा अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परविरत्तन के प्रभावों के अनुकूल कार्य करने हेतु की गई प्रतजिज्ञाएँ हैं।

उपलब्धियाँ:

- वैश्वकि सहमति और समावेशता: ऐसा परथमतः है जब, लगभग सभी राष्ट्र, [विकिसति](#), विकासशील और अल्प विकिसति, एक सार्वभौमिक ढाँचे के तहत जलवायु परविरत्तन से निपटने के लिये प्रतबिद्ध हैं, जहाँ सभी देश [राष्ट्रीय स्तर पर निधारति योगदान \(NDC\)](#) के माध्यम से योगदान करते हैं, जिससे वैश्वकि भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- विकासशील देशों के लिये वित्तीय सहायता: विकिसति देशों ने विकासशील देशों को [शमन और अनुकूलन](#) में सहायता देने के लिये 2020 तक प्रतविष्ट 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का संकल्प लिया है, जिसमें कमज़ोर देशों के लिये सतत विकास को सक्षम बनाने के लिये वर्ष 2020 के बाद वित्तीय प्रतबिद्धताओं को बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है।
- समानता और वभिदति ज़मिमेदारियाँ: राष्ट्रीय परस्थितियों के आधार पर प्रतबिद्धताओं को संतुलित करने के लिये "[साझा लेकनि वभिदति ज़मिमेदारियाँ \(CBDR\)](#)" के UNFCCC सदिधांत को शामिल किया गया, जिससे विकासशील और अल्प विकिसति देशों के लिये निषिक्षता सुनिश्चित हुई।

- आलोचना: वैश्व वैश्व मौसम वजिज्ञान संगठन (WMO) की वर्ष 2022 की [स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट](#) रपोर्ट के अनुसार [जलवायु परविरत्तन पर पेरसि समझौता](#) अपने एजेंडे को पूरा करने में अप्रभावी रहा है।

- समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, पछिले आठ वर्ष (2015-2022) लगातार वैश्वकि स्तर पर सबसे ग्रम वर्ष रहे हैं।
 - यद्यपिछिले तीन वर्षों में **ला नीना मौसम घटना** नहीं घटी होती, तो स्थिति और भी संकटपूरण हो सकती थी, जिसका मौसम प्रणाली पर शीतलन प्रभाव पड़ता है।
- वर्तमान **राष्ट्रीय स्तर पर निधारति योगदान (एनडीसी)** प्रतबिद्धताएँ वैश्वकि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिये अप्रयाप्त हैं, जिसमें 2.5-2.9 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है तथा लक्ष्यों एवं वास्तवकि कार्यान्वयन के बीच अंतर के कारण वर्ष 2030 तक उत्सर्जन और भी अधिक हो सकता है।
- विश्व **मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** की **रपोर्ट** में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2015 का पेरसि समझौता प्रयाप्त नहीं है तथा इसके पूरक के रूप में जीवाशम ईंधन संघर्षकी आवश्यकता है।
 - उदाहरण के लिये, जबकि यूरोपीय संघ के एनडीसी यूरोपीय गरीन डील की तरह सुदृढ़ लक्ष्य और कार्यान्वयन को दर्शाते हैं, दक्षणि अफ्रीका जैसे देश कोयले पर निभरता तथा सीमित संसाधनों के कारण प्रभावी कार्यान्वयन के लिये संघर्ष करते हैं।

//






UNFCCC

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)

कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज़:

- UNFCCC की सर्वोच्च नियंत्रण लेने वाली संस्था
- प्रत्येक वर्ष बैठक होती है (जब तक कि पक्षकार अन्यथा नियंत्रण न ले)
- बौन, सचिवालय में बैठक (जब तक कि कोई पार्टी सब की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती)
- पहला सीओपी- बलिन, जर्मनी में आयोजित (1995)

COPs और उनके प्रमुख परिणाम







पेरसि समझौते पर वकिसति, वकिसशील और अल्पवकिसति देशों के अलग-अलग दृष्टकोण क्या हैं?

पहलू	वकिसति देश	वकिसशील देश	अल्प-वकिसति देश (LDCs)
एनडीसी के प्रतिवृष्टिकोण	लचीलेपन के लिये स्वैच्छिक एनडीसी का पक्ष लें।	स्वैच्छिक एनडीसी की अपर्याप्त एवं असमान बताते हुए आलोचना करना।	मजबूत वैश्वकि कार्रवाई के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबिद्धताओं की मांग करना।
जलवायु वित्त	कम औद्योगिकीकृत देशों पर अधिक ज़मिमेदारी डालने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।	वकिसति देशों से पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सहायता का समर्थन करना।	वादा कर्ये गए वित्तीयों में विलंब और अपर्याप्तता से निरिशा, वशीष रूप से अनुकूलन और हानि एवं क्षति के लिये।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	सीमति, बाजार-आधारित प्रौद्योगिकी साझाकरण का समर्थन करना।	हरति अर्थव्यवस्थाओं में परविरत्तन के लिये सुलभ एवं कफियती प्रौद्योगिकी की मांग करना।	महत्वपूरण प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की कमी पर प्रकाश डालना, जिससे उनकी भेदयता वृद्धि होती है।
ऐतिहासिक ज़मिमेदारी	ऐतिहासिक उत्सर्जन जवाबदेही से आगे बढ़ने का प्रयास करना।	वकिसति देशों को जवाबदेह ठहराने के लिये "साझा लेकनि वभिदति ज़मिमेदारियों" (CBDR) के संदिधांत पर परचिर्चा करना।	वैश्वकि कार्रवाई में नष्टिक्षता सुनिश्चयित करने के लिये ऐतिहासिक उत्सर्जन को संबोधित करने के महत्व पर ज़ोर देना।
अनुकूलन हेतु आवश्यकताएँ	अनुकूलन की अपेक्षा शमन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना।	प्रतमान और भविष्यि के जलवायु प्रभावों से नपिटने के लिये शमन एवं अनुकूलन दोनों पर ज़ोर देना।	गंभीर कमज़ोरियों, वशीषकर समुद्र-स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं के कारण अनुकूलन को प्राथमिकता देना।
लॉस एंड डमेज	मुआवजा या क्षतिपूरतादेने में अनचिछा प्रदर्शन करना।	हानि और क्षति से नपिटने के लिये मज़बूत तंत्र की स्थापना का समर्थन करना।	उनके अस्ततिव को संकट में डालने वाले अपरविरतनीय जलवायु प्रभावों के लिये तत्काल कार्रवाई और क्षतिपूरता की मांग करना।

```
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
```

पेरसि समझौते के कार्यान्वयन में कमर्थों को दूर करने के लिये क्या कथिा जा सकता है?


- एनडीसी को सुदृढ़ और लागू करना: एनडीसी को तापमान लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिये समय-समय पर समीक्षा के साथकानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कविक्सिति देश अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन एवं वित्तीय क्षमता को दर्शाते हुएच्च शमन लक्ष्य को अपनाएँ।
 - जीवाशम ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना: जीवाशम ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये एकबाध्यकारी वैश्वकि ढाँचा स्थापित करना, स्वच्छ ऊर्जा परविरत्तन के लिये विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा नविशों को प्राथमिकता देने के लिये जीवाशम ईंधन सब्सिडी को समाप्त करना।
 - जलवायु वित्त को बढ़ावा देना: विक्सित देशों को वर्ष 2035 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य को पार करना होगा, कमज़ोर देशों के लिये अनुकूलन और **लॉस एंड ड्रैमेज** वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना होगा तथा कारबन कर एवं विमानन कर जैसे

- नवीन तंत्रों को लागू करना होगा।
- पर्यावरण की हस्तातरण को बढ़ावा देना: कफियती पर्यावरण की सुविधा प्रदान करना, प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से तकनीकी क्षमता का निर्माण करना तथा टकिऊ नवाचार एवं परनियोजन के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- अनुकूलन और जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना: आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति विकसित करना, लचीले बुनियादी ढाँचे में नविश करना तथा जलवायु-परिवर्तन के साथ समानता को बनाए रखना, इनडीसी और वित्त के लिये पारदर्शी जवाबदेहता स्थापित करना तथा गैर-अनुपालन के लिये दंड के साथ अनुपालन के लिये प्रोत्साहन को लागू करना।
- वैश्विक सहयोग में वृद्धि: बाकू में COP29 के हालायि घटनाक्रमों के मददेनजर, एकीकृत वैश्विक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिये बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने और गैर-अनुपालन के लिये जवाबदेहता सुनिश्चित करने वाले मजबूत विधिक ढाँचे की स्थापना की आवश्यकता है।

भारत की जलवायु परिच्छेदिका/प्रोफाइल

क्षेत्रवार योगदान

- प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र: ऊर्जा, परिवहन, निर्माण



- प्रमुख जलवायु जोखिम: बाढ़, सूखा, हीटवेव, कोल्डवेव और चक्रवात
- कमज़ोर क्षेत्र: कृषि और खाद्य, जल, तटीय, स्वास्थ्य, वन और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रमुख पहल

राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)

भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (वर्ष 2022)

- 'जीवन' के लिये जन आंदोलन - 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली'
- आर्थिक विकास हेतु जलवायु-अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना
- वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाशम ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता
- 2.5 से 3 बिलियन टन CO₂ का अतिरिक्त कार्बन सिंक
- विशिष्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से अपनाना
- घरेलू और नई एवं अतिरिक्त निधियाँ एकत्रित करना

- क्षमताओं का निर्माण करना, घरेलू ढाँचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता - UNFCCC (1994) कन्वेंशन और समझौते

- पेरिस समझौता (2015)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2005)

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग

द्विपक्षीय परियोजनाएँ

ड्यूश गेसेलशाफ्टफ्यूर इंटरनेशनेल ज़ुसमेनरबीट (GIZ) GmbH (जर्मनी)

- ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त (CAFRI) (वर्ष 2020-2023)
- राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई (NAMAs) (वर्ष 2007)
- ग्लोबल कार्बन मार्केट (GCM) (वर्ष 1997)
- जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्रवाई पर क्षमताओं का संस्थागतकरण (ICCC)

यूरोपीय संघ (EU)

- पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये रणनीतिक साझेदारी (SPIPA) (वर्ष 2018-2022)
- इको-सिटीज़ के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ और ऊर्जा दक्षता

बहुपक्षीय परियोजनाएँ

संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (वर्ष 2019)

अनुकूलन पर वैश्विक आयोग (GCA) (2018)

UNDP: राज्य-स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बाज़ार परिवर्तन और बाधाओं को दूर करना

प्रश्न: पेरसि समझौते की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये और इसके कार्यान्वयन में चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

?/?/?/?/?/?/?/?/?

प्रश्न 1. जलवायु परविरतन पर अंतर-सरकारी पैनल (आई० पी० सी० सी०) ने वैश्वकि समुद्र-स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग एक मीटर की वृद्धि का पूर्खानुमान लगाया है। हमें महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा? (2023)

प्रश्न 2. ग्लोबल वार्मिंग (वैश्वकि तापन) की चर्चा कीजिये और वैश्वकि जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिये नियंत्रण उपायों को समझाइये। (2022)

प्रश्न 3. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिविद्धताएँ क्या हैं? (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtilas.com/hindi/printpdf/nine-years-of-the-paris-agreement>

